कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

एफ.–37 / निदे.आयो. / प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012 / 805 दिनांक 27/6/13

" प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012 के तहत जोधपुर विकास प्राधिकरण के लिए प्रत्यायोजित एम्पावर्ड कमेठी की बैठक दिनांक 22.05.2013 व 24.5.2013 का कार्यवाही विवरण"

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2012 अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.3(54)नविवि / 3 / 2011 दिनांक 5.11.2012 के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की तृतीय बैठक श्री राजेन्द्रसिहं सोंलकी, अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 22.05.2013 को दोपहर 3.00 बजे एवं दिनांक 24.05.2013 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है –

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

सामान्य निर्देश :–

1. बैठक में निदेशक आयोजना द्वारा अवगत करवाया गया कि कमेटी में रखे जाने वाले प्रकरणों का पूर्ण एजेण्डा जोन से प्राप्त नही होता है, जिसके कारण कमेटी द्वारा निर्णय लिये जाने में कठिनाई आती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया तथा संबधित उपायुक्तों को निर्देशित किया गया कि भविष्य मे कमेटी की बैठक में रखे जाने वाले प्रकरण पूर्ण तथ्यों, निर्णय हेतु स्पष्ट बिन्दु एवं स्पष्ट अभिशंषा / राय के साथ एजेण्डा हस्ताक्षर कर निदेशक आयोजना को समय पर भिजवाये ताकि प्रकरणों में उचित निर्णय लिया जा सके।
2. साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि ले–आऊट प्लान अनुमोदन तथा भूखण्डो के साईट प्लान जारी करते समय कॉर्नर के भूखण्डों में सडक के तरफ के कॉर्नर में गोलाई दर्शायी जावें तथा गोलाई के अन्तर्गत आने वाले भूखण्ड के भाग के क्षेत्रफल को भूखण्ड के कुछ क्षेत्रफ लमे से घटाकर पट्टा विलेख जारी किये जावें।
3. खांचा भूमि आवंटन के प्रकरणों में विस्तृत जांच हेतु जाच प्रपत्र तैयार किया जावें तथा संभी प्रकरणों में जाचं प्रपत्र अनुसार उपायुक्त, उप नगर नियोजक / सहायक नगर नियोजक, कनिष्ठ अभियन्ता इत्यादि से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त की प्रकरण समिति के समक्ष रखे जावें।

एजेण्डा संख्या 1 :: राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा नम्बर 7, 7 / 3, 7 / 4, 7 / 2 व 7 / 3 के ले–आऊट प्लान अनुमोदन के संबध में।

एजेण्डा संख्या 3 :: **राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा नम्बर 7 / 5 के योजना मानचित्र के संबंध में।**

जोन से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा नम्बर 7 / 5 व समस्त बट्टा नम्बर का ले–आऊट प्लान मे वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत प्लान में भूखण्ड सख्या 50, 51, 52, 53, 54 पर पार्क व स्कूल दर्शाया हुआ है। उक्त भूखण्डाधारियों द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त

भूखण्ड हमारे खरीदसुदा है तथा मौके पर कब्जा है। भूखण्डों के पट्टे जारी करने का निवेदन किया है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्डों पर चारो ओर चारदिवारी बनी हुई है। भूखण्ड संख्या 50 आवेदक द्वारा जरिए रजिस्टर्ड खरीद किया है। अतः प्रकरण वास्ते निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया की जोन उपायुक्त द्वारा प्रकरण में इन खसरों के स्वामित्व की जांच एवं रहवासीय व सुविधा क्षेत्र इत्यादि के 60:40 के प्रतिशत की जांच करवाकर प्रकरण कमेटी की बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 2 :: राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 775/66 व 775/70 की भूमि में एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने बाबत्।

प्रार्थिनी श्रीमती कमला जाजू एवं श्रीमती काजल जाजू ने प्रार्थना–पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 775/66 व 775/70 में से उनके स्वामित्व की 1 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया गया है।

राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 775/66 व 775/70 का योजना मानचित्र वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा वर्ष 14.06.1985 को अनुमोदित किया गया था। उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी (कृषि भूमि रूपान्तरण), जोधपुर द्वारा अधिकांशतः पट्टा विलेख जारी किये गये है।

वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा वर्ष 14.06.1985 को अनुमोदित योजना मानचित्र में प्रार्थिया की भूमि को कृषि भूमि के रूप में छोडते हुए शेष भूमि का आवासीय योजना मानचित्र अनुमोदित किया गया है। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा अनुमोदित योजना मानचित्र की सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है।

कार्यालय रेकार्ड में राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 775/66 व 775/70 के अनुमोदित योजना मानचित्र की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध नही है। कार्यालय रेकार्ड में जो प्रतिलिपि उपलब्ध है, उसमें प्रार्थीया की भूमि पार्क एण्ड ओपन स्पेश के रूप में दर्शित है।

वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा अनुमोदित योजना मानचित्र का क्षेत्र विश्लेषण करने पर भीं यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीया की भूमि उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र में सम्मिलित नही है तथा अनुमोदित योजना मानचित्र में पार्क एव खुले स्थल हेतु आरक्षित स्थल हेतु आरक्षित भूमि यथावत मौके पर मौजूद है। इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी की भूमि कृषि भूमि के रूप में ही है।

उक्त भूमि के कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर में आवेदन किया गया व तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के तहत कार्यवाही करते

हुए भूमि नगर विकास न्यास के नाम पुर्नगृहित कर ली थी, जिसका राजस्व जमाबन्दी में इन्द्राज किया जा चुका है। जमाबन्दी की प्रतिलिपि सलंग्न है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीया से आवश्यक शुल्क भी वसूल किया जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र एवं प्रश्नगत भूमि का योजना मानचित्र प्रस्तुत करते हुए उसके स्वामित्व की भूमि का एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रश्नगत भूमि का एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किये जाने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोन उपायुक्त द्वारा स्वीकृत योजना मानचित्र की जिला अभिलेखाकार कार्यालय के रिकॉर्ड से जांच कर प्रकरण को आगामी कमेटी की बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 4 :: राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 287, 287/350 के अनुमोदित योजना मानचित्र के संबंध मे।

जोन के प्रस्तावानुसार राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 287, 287/350 व 288 का योजना मानचित्र वर्ष 1995 में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन द्वारा अनुमोदित है। प्रार्थी श्री रामनिवास विश्नोई ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र में आरक्षित ऑपन स्पेश में पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर पट्टा विलेख जारी किये जाने का निवेदन किया है। अतः प्रकरण वास्ते निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 1995 में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन द्वारा अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। समिति द्वारा प्रार्थी के प्रकरण को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 5 :: राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 83 के अनुमोदित योजना मानचित्र के विद्युत हाईटेंशन लाईन के नीचे प्रस्तावित सड़क के संबंध मे।

राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 83 की कॉलोनी 17.6.99 से पूर्व की है, जिसका रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा है। जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 22.01.2013 में स्वीकृत ले–आऊट प्लान के अनुसार उक्त खसने से होकर गुजरने वाली विद्युत हाईटेन्सन लाईन के नीचे 80 फुट चौडी सडक दर्शाई है।

उक्त कॉलोनीवासियों द्वारा सयुक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त कॉलोनी में से गुजरने वाली हाईटेन्सन विद्युत लाईन के नीचे 80' चौडी सडक को 40' रखे जाकर पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया है। अतः उपरोक्त सडक की चौडाई 80' के स्थान पर 40' किये जाने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त व उप नगर नियोजक सयुक्त रुप से सांगरिया के खसरा संख्या 83 व इसके आसपास स्थित योजनाओं का मौका निरीक्षण कर व स्वीकृत योजना मानचित्रों से जांच कर रिपोर्ट समिति की बैठक में प्रस्तुत करे।

एजेण्डा संख्या 6 :: राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 211 व 211/2 का योजना मानचित्र में अंकित विद्युत हाईटेंशन लाईन के नीचे प्रस्तावित सड़क के संबंध में।

प्राप्त प्रस्तावानुसार राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 211 व 211/1 का योजना मानचित्र जोन स्तरीय ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जाकर सशर्त अनुमोदित किया गया है। उक्त योजना मानचित्र मे से विद्युत हाईटेशन लाईन के नीचे सुरक्षात्मक दृष्टि से 80′ चौडी सडक प्रस्तावित की गई है। उक्त योजना के समीपीय भूमि पर वरिष्ट नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा पूर्व में स्वीकृत योजना मानचित्रों में उक्त सडक का मार्गाधिकार 50′ निर्धारित किया गया है।

उक्त खसरे के भूखण्ड संख्या 97 व 122 को अनुमोदित योजना मानचित्र में डिस्पेन्सरी व स्कूल दिखाया गया है, जबकि कॉलोनी वासियों के अनुसार उक्त भूखण्ड खातेदार की निजी सम्पति है तथा भूखण्ड संख्या 92 का आकार 40 गुणा 60 फीट है, जबकि अनुमोदित योजना मानचित्र में उक्त भूखण्ड का आकार 20 गुणा 60 फीट है।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रश्नगत आवासीय योजना मे से गुजर रही विद्युत हाईटेशन लाईन के नीचे सुरक्षात्मक दृष्टि से 80′ चौडी सडक व भूखण्ड संख्या 92, 97 व 122 के संबध में प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं ।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि उप नगर नियोजक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रश्नगत ले–आऊट के दोनों तरफ पूर्व स्वीकृत ले–आऊट प्लान दर्शाते हुए सयुक्त योजना मानचित्र में हाईटेन्सन लाईन के नीचे दर्शाई 50′ चौडी सडक को आधार मानते हुए प्रश्नगत ले–आउट प्लान में भी उक्त सडक को 50′ रखी जावें। उक्त तथ्यों के अनुसार स्वीकृत योजना में त्रुटिवश भूखण्ड 92 की नाप 20 गुणा 60 फीट दर्शाई गई है, जिसे पटवारी व अमीन की पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट अनुसार योजना मानचित्र में संशोधन करते हुए 40 गुणा 60 फीट दर्शाई जावें। उक्त खसरे के भूखण्ड संख्या 97 व 122 को अनुमोदित योजना मानचित्र में दर्शाये गये डिस्पेन्सरी व स्कूल के संबध में उपायुक्त व उप नगर नियोजक सयुक्त रुप से मौका निरीक्षण कर व दस्तावेजों से जांच कर रिपोर्ट समिति की बैठक में प्रस्तुत करेगें।

एजेण्डा संख्या 7 :: राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 114 व 115 के योजना मानचित्र में संशोधन

जोन से प्राप्त प्रस्तावानुसार राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 114 व 115 का पीटी सर्वे के आधार पर ले–आऊट प्लान तैयार किया गया। पटवारी/अमीन द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जाकर ले–आऊट प्लान के संबध में आयोजना शाखा की राय प्राप्त की गई है। प्रकरण जोन स्तरीय ले–आऊट प्लान समिति द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदित किया गया। अनुमोदित ले–आऊट प्लान का मौके से पटवारी पश्चिम द्वारा मिलान किया गया, जिमें निम्न भिन्नतांए पाई गई :–

- अनुमोदित मानचित्र के अनुसार भूखण्ड संख्या 12 खसरा संख्या 114 व 115 ग्राम चौपासनी का माप 30 गुणा 60 अंकित है एवं भूखण्ड सख्या 12 के पूर्व में 30′ सडक दर्शायी गई है। पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर भूखण्ड

संख्या12 का माप 62'6'' गुणा 60 है एवं मौके पर आवेदक श्रीमती उमा खत्री पत्नि श्री भंवरलाल खत्री का कब्जा है। उक्त भूखण्ड संख्या 12 का एडीएमएलसी द्वारा पट्टा विलेख जारी है। जिसका माप 62+55/2X60 क्षेत्रफल 390 वर्गगज है। भूखण्ड संख्या 12 व खसरा नम्बर 114 व 115 की गार्ड पत्रावली संलग्न है।

- खसरा नम्बर 114 व 115 ग्राम चौपासनी में पिपली चौराहे से उत्तर दिशा की मुख्य सडक पूर्व ले–आऊट प्लान में 30' थी। नये ले–आऊट प्लान में 40' बताई गई है। उक्त सडक के भूखण्डों की लम्बाई में कमी नहीं की गई है।
- भूखण्ड संख्या 132, 133, 60 व 61 के मध्य पूर्व ले–आऊट प्लान में 10' की गली थी वर्तमान में रोड 30' बताया गया है। इसी प्रकार भूखण्ड 1 व 2 के पास की 10'गली को 30' अंकित किया है। समीप के भूखण्डों के क्षेत्र में कोई कमी नहीं की गई। भूखण्ड संख्या 132, 132–ए में मकान निर्मित है।
- खसरा संख्या 115 जमना कृषि फार्म के साथ की रोड स्वीकृत ले–आउट प्लान में 40' दर्ज है, मौके पर उक्त रोड 30' है। इस रोड पर स्थित भूखण्डों की लम्बाई में कमी नहीं की गई है।
- भूखण्ड संख्या 323 व 359 के मध्य की रोड मौके पर 30' है, ले–आउट प्लान में 40' बताई गई है।
- भूखण्ड संख्या 678, 679 व चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के मध्य की रोड मौके पर 40' नहीं है।
- खसरा संख्या 114 व 115 में पीटी सर्वे के अनुसार तैयार किये गये ले–आउट प्लान में कुछ भूखण्ड सम्मिलित होने से शेष रह चुके है। इन भूखण्डों के उपखण्ड अधिकारी/अतिरिक्त कलक्टर भूमि रुपान्तरण जोधपुर द्वारा पट्टे भी जारी है। खसरा संख्या 114 व 115 पुनः संशोधित भौतिक स्थिति के आधार पर प्लान तैयार होने के पश्चात् ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

बैठक में समिति द्वारा विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर भूखण्ड संख्या 12 का माप 62'6'' गुणा 60 है तथा मौके पर आवेदक श्रीमती उमा खत्री पत्नि श्री भंवरलाल खत्री का कब्जा है। भूखण्ड संख्या 12 के भूमि रुपान्तरण विभाग द्वारा जारी पट्टा विलेख के अनुसार माप 62+55/2X60 क्षेत्रफल 390 वर्गगज है। अतः समिति द्वारा प्रकरण में भूमि रुपान्तरण विभाग द्वारा जारी पट्टे को आधार मानते हुए पट्टा विलेख जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार योजना मानचित्र में संशोधन किया जावें। एजेण्डा में वर्णित शेष बिन्दुओं के संबध में उपायुक्त एवं सहायक नगर नियोजक मौका निरीक्षण कर दस्तावेज से जांच कर अपनी स्पष्ट राय सहित प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

एजेण्डा संख्या 8 :: राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 86, 97 व 113 के योजना मानचित्र में मौके पर सड़क की स्थिति में भिन्नता।

जोन से प्राप्त प्रस्तावानुसार राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 86, 97 व 113 अतिरिक्त जिला कलक्टर (भूमि रूपान्तरण), जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के पट्टा विलेख जारी किये गये है। यह भूमि गगाणा जाने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित हैं। जोधपुर मास्टर प्लान में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100 फुट निर्धारित किया गया

है। मास्टर प्लान सड़क की चौडाई 100 फुट छोड़ते हुए ही अतिरिक्त जिला कलक्टर (भूमि रूपान्तरण), जोधपुर द्वारा पट्टा विलेख जारी किये गये है।

राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 86, 97 व 113 की कुछ भूमि पर वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा नक्शा अनुमोदित किया गया है। इस नक्शे में गंगाणा सड़क का मार्गाधिकार 100 फुट रखा गया है। इस नक्शे के अनुसार पट्टे जारी किये गये हैं।

गंगाणा सड़क के उत्तर दिशा में सड़क के सहारे–सहारे यूआईटी की आवासीय योजना बनाई जाकर लोगो को पट्टे जारी किये गये है। यूआईटी की योजना राजस्व ग्राम सूंथला के खसरा नम्बर 130 नम्बर में बनाई गई है। राजस्व ग्राम सूंथला का खसरा नम्बर 130 राजस्व ग्राम चौपासनी के माठ अर्थात् सीमा का खसरा है। यूआईटी ने जो योजना बनाई उसमे पट्टे गंगाणा जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट ही छोडा गया है। उसी के अनुसार पट्टे जारी किये गये है।

सूंथला के खसरा नम्बर 130/2 की योजना वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर के दिनांक 07.12.2007 को अनुमोदित की थी। इस योजना में गंगाणा सड़क का मार्गाधिकार 100 फुट दर्शाया गया है।

उक्त योजनाओं में गंगाणा सडक का मार्गाधिकार भिन्न होने के कारण मौके पर सडक की स्थिति में भिन्नता है। उक्त सडक का खसरा नम्बर 130/2 के सामने मार्गाधिकार 80 फीट तथा उससे आगे यूआईटी स्कीम के सामने सडक का मार्गाधिकार 60 फीट व इससे आगे मौका स्थिति अनुसार उक्त सडक का मार्गाधिकार 100 फीट प्राप्त हो रहा है। अतः उक्त सडक के संबध में प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त (पश्चिम) प्रश्नगत भूमि का सर्वे मेप व पूर्ण तथ्यों के साथ प्रकरण राज्य सरकार को शीघ्र भिजवाये।

एजेण्डा संख्या 9 :: राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 74 व 76 के अनुमोदित योजना मानचित्र के संबंध में।

जोन से प्राप्त प्रस्तावानुसार राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 74 व 76 के ले–आऊट प्लान के संबध में निम्न बिन्दुओं पर निर्णय हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रेषित किया गया है :–

- खसरा नम्बर 76 का नक्शा जो पत्रावली में उपलब्ध है। उस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
- खसरा नम्बर 76 श्री पुरोहित का था। शिकायतकर्ता के अनुसार जिसके भूखण्डों को पूर्व में अनुमोदित 175/74 में दर्शा दिया गया है। जिस पर विवाद है।
- पूर्व के अनुमोदित प्लान पर पुनः अनुमोदन कर ओ.सी.एफ. भूमि पर पट्टे दिये गये है।
- अब पट्टे पूर्व ले–आऊट प्लान के आधार पर ही पट्टे दिये जावे। नवीन ले–आऊट प्लान केवल वास्तविक स्थिति के लिए उपयोग हो।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में जांच हेतु उपायुक्त (पश्चिम), श्री महेन्द्रसिह विशेषाधिकारी (अध्यक्ष महोदय), उप नगर नियोजक व तहसीलदार (पश्चिम) की कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त कमेटी प्रकरण में मौका निरिक्षण कर पूर्ण तथ्यों के साथ अभिशंषा सहित निष्कर्षात्मक रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

एजेण्डा संख्या 10 :: राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 146 के अनुमोदित योजना मानचित्र के संबंध मे।

जोन से प्राप्त प्रस्तावानुसार एम्स रोड विकास समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुतकर राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 146 के स्वीकृत ले–आऊट प्लान को निरस्त कर ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने का निवेदन किया है। प्रश्नगत भूमि में स्थित एम्स रोड के संबध में सर्वे करवाया गया है। ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 146 का पुनः भौतिक सर्वे करवाया जाकर संशोधित ले–आऊट प्लान तैयार करवाने के संबध में निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रेषित किया गया है।

बैठक में समिति द्वारा विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रतन नगर, केशव नगर, दिग्विजय नगर, बालाजी नगर व सुभाष नगर का आंशिक भाग एवं गुलाब नगर में सडक व नहर सीमा में अतिकमण के संबध में संबधित अतिकमण अधिकारी कब्जे हटाकर समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

एजेण्डा संख्या 11 :: राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 18 व 19 में आवेदकों के आवेदन व मानचित्र में खसरा नम्बर का अन्तर के संबंध मे।

एजेण्डा संख्या 12 :: राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 29, 30 व 31 के खसरा नम्बर के दस्तावेजों के अन्तर के संबंध मे।

जोन से प्राप्त प्रस्तावानुसार उक्त खसरों के 90–ए के आदेश प्रशासन शहरों के संग अभियान अवधि के दौरान जारी किये गये थे। शिविर में अधिकांश आवेदकों को पट्टे जारी किये जा चुके है। कुछ आवेदकों के दस्तावेजों के खसरा नम्बर अंकन व मानचित्र में अंकित खसरा नम्बर में अन्तर आ रहा है। अतः पट्टा विलेख जारी करने में अडचने आ रही है। अत प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं ।

बैठक में विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबधित उपायुक्त प्रश्नगत भूमि का सर्वे करवाकर, दैनिक समाचार पत्रों में आम सूचना जारी कर, आपति व सुझाव आमन्त्रित करे। प्रश्नगत भूखण्डों के पडोस के भूखण्डों में पूर्व जारी पट्टा विलेखों में दर्शाये पडोस की सुनिश्चितता के उपरान्त प्रश्नगत भूखण्डों के पट्टा विलेख जारी किये जावे। राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के दौरान इस संबध में जारी परिपत्र/आदेश अनुसार अग्रिम कार्यवाही करे।

95

एजेण्डा संख्या 13 :: राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 77 में व्यवसायिक अथवा आवासीय पट्टा विलेख जारी किये जाने के संबंध मे।

जोन से प्राप्त प्रस्तावानुसार ग्राम जोधपुर का खसरा नम्बर 77 भदवासिया मुख्य सडक से लगता हुआ है। इस खसरे पर काबिज व्यक्तियो द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टों हेतु आवेदन किया है। उक्त खसरें में अधिकांशतः व्यवसायिक गतिविधिया विद्यमान है। राज्य सरकार द्वारा व्यवसायिक पट्टों बाबत अलग से आदेश जारी करने के निर्देश है। अत प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं ।

बैठक में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संबधित उपायुक्त राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के दौरान जारी परिपत्र प.3(54)/नविवि/3/2011-पार्ट दिनांक 11.12.12 व पत्र कमांक प.3(3)नविवि/3/2010 दिनांक 22.04.13 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

एजेण्डा संख्या 14 :: राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा नम्बर 116/2, 121 में पार्क व ओपन स्पेश के स्थान पर पट्टा विलेख जारी किये जाने बाबत।

जोन से प्राप्त प्रस्तावानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के अन्तर्गत गठित एम्पावर्ड कमेटी की द्वितीय बैठक दिनांक 29.01.13 के एजेण्डा संख्या 4 बिन्दु संख्या बी में लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण में मौका निरीक्षण व पूर्ण तथ्यों की जांच कर, निष्कर्षात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उपायुक्त उत्तर, उप नगर नियोजक व अधिशाषी अभियन्ता की गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पूंजला के खसरा नम्बर 116/2, 121 स्वीकृतसुदा ले-आऊट प्लान जो पार्क दर्शाया गया है, मौके पर खाली पड़ा है तथा एक भूखण्ड में निर्माण कार्य भी हो रहा है व एक की बाउण्ड्री वॉल बनी हुई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार उक्त पार्क स्थल पर विभिन्न लोगों के भूखण्ड है। इससे पूर्व भू-प्रबन्ध निरीक्षक उत्तर जोन से मौका की स्थिति के बारे में रिपोर्ट ली जा चुकी है। भू-प्रबन्ध निरीक्षक ने पैरा नम्बर 15 में स्पष्ट उल्लेख किया कि ले-आऊट प्लान स्वीकृत होने से पहले मौके पर 16 भूखण्ड मौजुद थे, लेकिन सर्वे मौके पर मुटाम नहीं होने के कारण पार्क दर्शा गया तथा उपलब्ध पंजीकृत बेचान दस्तावेजों के अनुसार भी 16 भूखण्ड साबित है। अतः स्वीकृत ले-आऊट प्लान में दर्शाये गये पार्क स्थल पर प्रार्थीगणो द्वारा उपलब्ध करवाये गये ले-आऊट प्लान एव भू-प्रबन्ध निरीक्षक की मौका रिपोर्ट एवं प्रार्थीयों द्वारा पेश दस्तावेजों के अनुसार स्वीकृत ले-आऊट में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबधित उपायुक्त व उप नगर नियोजक प्रश्नगत भूमि के दस्तावेजों की जांच कर, दैनिक समाचार पत्रों में आम सूचना जारी कर, आपति व सुझाव आमन्त्रित करे। उक्त प्रश्नगत भू-भाग के आसपास स्थित भूखण्डों के जारी पट्टा विलेखों में पार्क की स्थिति के संबध में जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट 10 दिवस में समिति के समक्ष प्रस्तुत करे।

96

एजेण्डा संख्या 15 :: दिनांक 17.06.1999 से पूर्व बसी कुल 28 कॉलेनियों के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

बैठक में समिति द्वारा विचार–विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संबधित उपायुक्त भू–उपयोग परिवर्तन के संबध में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर, समस्त रिपोर्ट के साथ प्रकरण आयोजना शाखा में भिजवाये। भू–उपयोग परिवर्तन के संबध में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा इसी संदर्भ में विचाराधीन अवमानना याचिका के निस्तारण/इस संबध में स्पष्ट दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जावें।

एजेण्डा संख्या 16 :: राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा नम्बर 277/2 में व्यवसायिक प्रयोजन के स्थान पर आवासीय प्रयोजन पट्टा विलेख जारी किये जाने के संबंध मे।

जोन से प्राप्त प्रस्तावानुसार ग्राम पूंजला का खसरा नम्बर 277/2 का ले–आऊट प्लान जोन स्तरीय ले–आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 22.03.2013 में अनुमोदित किया गया है तथा उसी के अनुसार नियमन की कार्यवाही की गयी है। उक्त खसरें में अधिकांशत भूखण्डों में व्यवसायिक गतिविधियों विद्यमान है। राज्य सरकार द्वारा व्यवसायिक पट्टों बाबत अलग से आदेश जारी करने के निर्देश है। अत प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं ।

बैठक में समिति द्वारा विचार–विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संबधित उपायुक्त राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के दौरान जारी परिपत्र प.3(54)/नविवि/3/2011–पार्ट दिनांक 11.12.12 व पत्र कमांक प.3(3)नविवि/3/2010 दिनांक 22.04.13 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

एजेण्डा संख्या 17 :: बी.जे.एस. कॉलोनी में सचिव द्वारा पट्टा विलेख हेतु एन.ओ.सी. जारी किये जाने के संबंध में।

जोन से प्राप्त प्रस्तावानुसार कार्यालय पत्रांक 805 दिनांक 20.3.13 द्वारा सचिव बीजेएस सोसायटी को उक्त कॉलोनी में भूखण्डधारियों के अधिकार पत्र, आवंटन रसीदे मय नम्बर व दिनांक नाम व पता भूखण्ड संख्या आदि संबधी सम्पूर्ण विवरण सहित पूर्ण सूची उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु सचिव बीजेएस सोसायटी के पत्रांक 279 दिनांक 18.4.13 द्वारा अपने पत्र द्वारा अवगत कराया कि नगर सुधार न्यास धारा 90 बी लेण्ड रेवन्यू एक्ट के अधीन कोई पट्टे नहीं जारी करने का उल्लेख किया है एवं दूसरी तरफ बीजेएस सोसायटी द्वारा पट्टे जारी करने हेतु एन.ओ.सी. भी दी जा रही है। प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण एम्पावर्ड कमेटी के क्षेत्राधिकार का नही है। अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

17

एजेण्डा संख्या 18 :: खांचा भूमि आवंटन के प्रकरण

18(1) राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 32 के भूखण्ड संख्या 17 सी के समीप स्थित खांचा भूमि का आवंटन। प्रार्थी श्रीमती कलावती सायल।

18(2) राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 32 के भूखण्ड संख्या 18 ए के समीप स्थित खांचा भूमि का आवंटन। प्रार्थी श्री गौरीशंकर सोनी।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संबधित उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक मौका देखकर एवं दस्तावेजों से जांच कर अपनी राय के साथ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। प्राप्त आपत्ति के संबध में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

18(3) राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 56, 56/1, 56/2 के भूखण्ड संख्या 76 के समीप स्थित खांचा भूमि का आवंटन। प्रार्थी श्री ओमप्रकाश सोलंकी।

18(4) राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 56, 56/1, 56/2 के भूखण्ड संख्या 69 के समीप स्थित खांचा भूमि का आवंटन। प्रार्थी श्री ओमप्रकाश सोलंकी।

18(5) राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 56, 56/1, 56/2 के भूखण्ड संख्या 29 के समीप स्थित खांचा भूमि का आवंटन। प्रार्थी श्रीमती अंजना मेहता।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संबधित उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक मौका देखकर एवं दस्तावेजों से जांच कर अपनी राय के साथ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

18(6) राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 128 के भूखण्ड संख्या 274 के समीप स्थित खांचा भूमि का आवंटन। प्रार्थी श्रीमती नन्दा अरोड़ा।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संबधित उपायुक्त मौका देखकर अनुमोदित ले–आऊट प्लान व दस्तावेजों से जांच कर, स्वामित्व रिपोर्ट एवं अपनी राय के साथ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

18(7) राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 775/32, 775/37 व 775/44 के भूखण्ड संख्या 97 के समीप स्थित खांचा भूमि का आवंटन। प्रार्थी श्री सन्दीप दीवन।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित खांचा भूमि पर एक स्वतन्त्र भूखण्ड सृजित किया जा सकता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जावें तथा प्रश्नगत भूमि पर भूखण्ड सृजित कर निलामी की कार्यवाही की जावें।

18(8) पावटा के निकट रायपुर हत्थे में स्थित भुखण्ड संख्या 12 समीप स्थित खांचा भूमि का आवंटन। श्रीमती भूर कंवर पत्नि श्री स्व रघुनाथसिह।

18(9) राजस्व ग्राम मंडोर के बारलावास में स्थित भूखण्ड समीप स्थित खांचा भूमि का आवंटन। आवेदक श्रीमती लीला देवी सांखला।

18(10) राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 58/1 रुप नगर के स्थित भुखण्ड संख्या 104 समीप स्थित खांचा भूमि का आवंटन। श्रीमती सुनीता शेखावत।

18(11) राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 191/149/2 के भुखण्ड संख्या 155 का भाग के समीप स्थित खांचा भूमि आवंटन । आवेदक श्री लोकेश भण्डारी।

18(12) राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा नम्बर 73 के भुखण्ड संख्या 5 के उत्तर दिशा के समीप स्थित खांचा भूमि आवंटन। श्रीमती उदेश्वरी देवी चोधरी।

18(13) राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्दर 201 के भुखण्ड संख्या 240 के समीप स्थित खांचा भूमि आवंटन। श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामदीन।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संबधित उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक मौका देखकर एवं दस्तावेजों से जांच कर अपनी राय के साथ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

18(14) राजस्व ग्राम चौपसनी जागीर के खसरा नम्बर 133 के भुखण्ड संख्या 97ए के समीप स्थिति खांचा भूमि आवंटन बाबत। श्री कमलदेव चौधरी।

18(15) राजस्व ग्राम चौपसनी जागीर के खसरा नम्बर 133 के भुखण्ड संख्या 96बी, 97बी के समीप स्थिति खांचा भूमि आवंटन बाबत। श्री आर.एस. चौधरी।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार एस.एस.डब्ल्यू.एस केनाल की सीमा के पश्चात् सडक का मार्गाधिकार 100 फीट है। अत: आवेदित खांचा भूमि सडक का भाग होने के कारण दोनों प्रकरणों को निरस्त किया जाता है।

18(16) राजस्व ग्राम सुथला के खसरा नम्बर 109/16, 112/6 के भुखण्ड संख्या 25बी के समीप स्थित खांचा भूमि का आवंटन। श्री सुभाषचन्द्र पुरोहित।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित भू–पट्टी रोड व रोड जक्शन का भाग होने के कारण प्रकरण को निरस्त किया जाता है।

18(17) महामन्दिर रोड जोधपुर में स्थित भूखण्ड के समीप स्थित खांचा भूमि आवंटन। श्री गणपतसिंह पंवार।

बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित भू–पट्टी के संबध में उपायुक्त (उत्तर) नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करे।

98

18(18) राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा नम्बर 85 के ब्लॉक नम्बर 1 के समीप स्थित खांचा भूमि आवंटन। श्रीमती पार्वती।

18(19) राजस्व ग्राम भाण्डू कलां के खसरा नम्बर 379/122/3 के भुखण्ड संख्या 6के समीप स्थित खांचा भूमि आवंटन। श्री ओमकार वर्मा।

18(20) राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 115 के भुखण्ड संख्या 133 के समीप स्थित खांचा भूमि आवंटन। श्री केसरसिंह।

18(21) पूर्वी पाल रोड योजना में स्थित भुखण्ड संख्या 26 के समीप स्थित खाचा भूमि आवंटन। श्री धमेन्द्र शर्मा।

18(22) राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 204 में स्थित भुखण्ड संख्या 52 के समीप स्थित खांचा भूमि आवंटन। श्रीमती अंजु पारिख।

18(23) राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 799/1 में स्थित भुखण्ड संख्या जी4 के समीप स्थित खांचा भूमि आवंटन। श्री घीसूलाल।

18(24) राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 55 व 128 के भुखण्ड संख्या 19सी के समीप स्थित खांचा भूमि आवंटन। श्री बलभद्रसिंह

18(25) राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा नम्बर 411/21 मे स्थित भूखण्ड संख्या 11 के समीप स्थित खांचा भूमि आंवटन। आवेदक श्रीमती नाजनीन

18(26) राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा नम्बर 19 व 139 के भूखण्ड संख्या 135 के समीप स्थित खांचा भूमि आवंटन। श्रीमती चंदा गहलोत।

18(27) राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा नम्बर 84 के भूखण्ड संख्या 1 के समीप स्थित खांचा भूमि आंवटन। श्री रणजीत खा।

18(28) राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा नम्बर 84 के भूखण्ड संख्या 1/बी के समीप स्थित खांचा भूमि आंवटन। श्री यासीन खा।

18(29) राजस्व ग्राम बावडी मे स्थित भूखण्ड संख्या 32 के समीप स्थित खांचा भूमि आवंटन। श्री माधोसिंह

18(30) राजस्व ग्राम बावडी में स्थित भूखण्ड सख्या 1,2 व 3 के समीप स्थित खाचा भूमि आवंटन। श्री माधोसिंह

18(31) राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 146 मे स्थित भूखण्ड संख्या 84 के समीप स्थित खांचा भूमि आवंटन। श्री गुलाबचंद चोपडा।

18(32) राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 122 में स्थित भूखण्ड सख्या 225 के समीप स्थित खांचा भूमि आवटन। श्रीमती भंवरीदेवी

बैठक में बाद विचार-विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संबधित उपायुक्त एवं संबधित उप नगर नियोजक/सहायक नगर

10

नियोजक मौका देखकर एवं दस्तावेजों से जांच कर अपनी राय के साथ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

अन्तः में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

उपायुक्त (उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

30/5/13
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

निदेशक अभियान्त्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

सचिव,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

आयुक्त,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

अध्यक्ष,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांकः F-37/निदे.आयो./प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012/ 806-15 दिनांक :– 27.06.2013

एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 22.05.2013 व 24.05.2013 के अनुमोदित कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. निदेशक (अभियान्त्रिकी/विधि/आयोजना) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. उपायुक्त (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

27/06/13
उप नगर नियोजक,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।